रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1915] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जुलाई 6, 2017/आषाढ़ 15, 1939
No. 1915] NEW DELHI, THURSDAY, JULY 6, 2017/ASADHA 15, 1939

indiacode

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2017

का.आ. 2149 (अ).—प्रारुप अधिसूचना भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 67 तारीख 22 दिसंबर, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण का भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) तारिख 8 जनवरी, 2016 को प्रकाशित की गई थी जिसमें उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उक्त अधिसूचना की राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना युक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 22 दिसम्बर,2015 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई टीका टिप्पणियां/आक्षेप और सुक्षाव प्राप्त नहीं हुए थे;

और, वेलावेदार ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के भाव नगर जिले में स्थित 39.34 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और गुजरात राज्य में भावनगर जिले के भावनगर तालुका/तहसील के उत्तरी भाग में अक्षांश

21°56' देशांतर 70°10' के बीच स्थित है और काले हिरण तथा दुर्लभ और संकटापन्न जैव विविधता के दीर्घावधि बचाव और संरक्षण के मुख्य उद्देश्य से अधिसूचित किया गया है|

और, आरक्षिती वन, तटीय घासस्थल पारिस्थितिक प्रणाली के रूप में वर्गीकृत किया है, राजवाड़ा जैव-भौगोलिक प्रांत और विभिन्न प्रकार के स्तनियों, सरीसृप, कीड़े और पक्षी जीवजंतुओं की जैव-विविधता से भरपूर है।

और, राष्ट्रीय उद्यान में प्रमुख वनस्पतियां हैं: जिन्जो (*दिंचीथुयुमानुलेटम*), धरणट (*स्पोरोबोलुस्विर्ज़िनिकस*), मोति धरण्त (*स्पोरोबोलुसमात्रपैटेंसिस*), चाकिमाकी (*स्पोरोबोलुसकोमेंडेलियानस*), मिंडडो (*क्लोरिस वर्गाटा*), डेल, डेलो (*एयूरोपूस्लोगोपाइड*), कांग (*सैदरियालोरका*), धंध (*एरग्रास्टिस जापानोनिका*), स्मेरू (*थिमेदत्रिद्र*), घवली (*इसामेमुर्गोसुम*), पाडू (*डैक्टाइलोक्टेनियममाइजिकीकुन*), वर्दी (*इसेइलामाथाहेफोराइड्स*) आदि;

और, राष्ट्रीय उद्यान में प्रमुख जीवजन्तु जैसे रूफस पुच्छ खरगोश (*लिपस एनआईजीरिकोलिसिफोडाडेटस*), रेगिस्तान खरगोश (*लिपस एनआईजीक्रोलिसडेनस*), भेड़िया (*कैनिस ल्यूपस पल्लिप्स*), सियार (*कैनिस ऑरियस*), भारतीय भेड़िया (*वुलप्सबैंगलेंसिस*), सामान्य नेवला (*हेर्पेस्टेसेडेडर्स*), ब्लैक बेक (*एन्टीपेकरवीकरपा*), ब्लू बुल (*बोसेलाफस्ट्रगोकेमलस*), भारतीय बनैला सूअर (*सस्स्कोरोफा*), पांच धारीदार खस्कोली (*फ़िनमबुलुसपेननाई*), डेजर्ट गेरबिल (*टेरटेरेनडिका*), जंगल बिल्ली (*फेलिशौस*), ग्रे कस्तूरी कर्कश (*सनस्कुसमुरिनस*), डेजर्ट बिल्ली (*फेलिस्लिब्का*) आदि हैं;

और, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान की संपूर्ण प्राकृतिक इकाई, जिसके अंतर्गत अवशेष तटीय घास स्थल पारिस्थितिकी प्रणाली और इसके सहयोगी बायोटा जिसके अंतर्गत उच्च लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए सतत संरक्षण प्रयास भी है।

और, वेलावेदार ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में आनुवंशिक संसाधनों को बनाए रखने और प्रजनन कार्यक्रमों के माध्यम से स्थानीय प्रजातियों के पुनर्वास, पर्यावरण शिक्षा और पारिस्थितिक अनुसंधान को बढ़ावा देने और उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गुजरात राज्य में वेलावेदार ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के चारों ओर 1.0 किलोमीटर से 3.70 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को वेलावेदार ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**- (1) वेलावेदार ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार 1.0 किलोमीटर से 3.70 किलोमीटर तक है और इसका क्षेत्र 43.57 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है |

(2) वेलावेदार ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान और उसके पारिस्थितिक संवेदी जोन तथा अक्षांश और देशान्तर के साथ का मानचित्र **उपाबंध I क और उपाबंध I-ख** के रुप में उपाबद्ध है |

(3) राष्ट्रीय उद्यान और इसका पारिस्थितिक संवेदी जोन के साथ सीमा ब्यौरा **उपाबंध II** के रुप में उपाबद्ध है |

(4) संरक्षित क्षेत्र के भू-निर्देशांक और पारिस्थितिक संवेदी जोन के भू-निर्देशांक **उपाबंध III** के रुप में उपाबद्ध है |

(5) पारिस्थितिक संवेदी जोन में आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध IV** के रुप में उपाबद्ध है |

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करके आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) आंचलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना, राज्य सरकार द्वारा इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप में ऐसी रीति में तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के अनुरुप भी तथा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देश, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(4) आंचलिक महायोजना, उक्त योजना में पर्यावरणीय और पारिस्थितिक बातों को समाकलित करने के लिए राज्य के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;

(ii) वन और वन्यजीव;

(iii) कृषि ;

(iv) राजस्व;

(v) नगर विकास;

(vi) पर्यटन;

(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका;

(x) पंचायती राज; और

(xi) लोक निर्माण विभाग।

(5) उक्त महायोजना में जब तक इस अधिसूचना में ऐसा विर्निदिष्ट न हो तब तक अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बधन अधिरोपित नहीं किया जाएगा और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना के सुधार और अधिक दक्ष तथा पारिस्थितिकी अनुकूल होने वाले क्रियाकलाप इस प्रकार विनिदिष्ट न हो।

IndiaCode

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी जिससे पारिस्थितिक अनुकूल विकास स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन सुरक्षा के लिए सुनिश्चित किया जा सके ।

(9) ऐसी अनुमोदित आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के अनुसार अपने कृत्यों का पालन करने के लिए मानीटरी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--**राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए हैं वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, पार्को और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की अवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होगें, अर्थात् :-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उनका सुदृढीकरण करना और नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिनके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग सुविधा भण्डार और स्थानीय सुविधाऐं और जिसके अंतर्गत सहायक पारिस्थितिक पर्यटन भी है तथा जिसके अंतर्गत ग्रह वास भी है; और

(v) पैरा 7 के अधीन संवर्धित क्रियाकलाप में दिये गए है:

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

IndiaCode

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी :

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप-पैरा के अधीन यथा-उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

(ख) वनीकरण तथा वास जीर्णोद्धार क्रियाकलापों सहित अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के अवाह क्षेत्रों की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीनीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी राज्य सरकार द्वारा इन क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलापों, जो ऐसे क्षेत्रों के लिए हानिकारक है, को प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार करेगा।

(3) **पर्यटन/पारिस्थितिक पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए होगा ।

(ख) पर्यटन महायोजना, पर्यटन विभाग, द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का भाग रूप में होगी ।

(घ) पारिस्थितिक पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) वेलावेदार ब्लैक बक राष्ट्रीय पार्क की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। उक्त पार्क की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे केवल पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक होटलों और सैरगाहों की स्थापना पूर्व परिभाषित पदाभिहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिक पर्यटन सुविधाओं के लिए ही अनुज्ञात की जाएगी;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांतों तथा द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा-संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, को महत्व देते होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में किसी नए होटल/सैरगाह या वाणिज्यिक स्थापन के संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाएं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में उनके परिरक्षण तथा संरक्षण के लिए तैयार की जाएगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान भी होगी और उनके संरक्षण के लिए विरासत संरक्षण योजना आंचलिक महायोजना के भाग के रुप में तैयार की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 और उसके संशोधनों के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुसार पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण को कार्यान्वित किया जाएगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण का वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उसके संशोधनों के अनुसार कार्यान्वित किया जाएगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों के अन्तर्गत आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण तत्वों के निस्सारण के लिए सामान्य मानकों, जो भी अधिक कठोर हो के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट --** ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा--

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान तथा प्रबंधन ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ) तारीख 8 अप्रैल, 2016 समय – समय पर यथा-संशोधित, द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा;

(iii) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण और भूमि भराव के स्थापनों को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**.- जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 343 (अ) तारीख 28 मार्च 2016 समय – समय पर यथा-संशोधित, द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन में कोई सामान्य उपचार सुविधा या भस्मीकरण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन: -** परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल रीति में विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विनिर्दिष्ट उपबंध समाविष्ट किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) **यानीय प्रदूषण:-** लागू विधियों के अनुसार वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा और स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए किए जाने वाले प्रयास किए जाएगे हैं ।

(13) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 समय – समय पर यथा-संशोधित, द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 समय – समय पर यथा-संशोधित, द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(15) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 समय – समय पर यथा संशोधित, उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां: -** (i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में फरवरी, 2016 में गैर- प्रदूषणकारी उद्योगों को उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में ऐसी विनिर्दिष्ट न किया जाए ।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार होगा:

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर उन क्षेत्रों को उपदर्शित करेगी जहां किसी भी संनिर्माण को अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(ख) विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर जिनमें कटाव के एक उच्च डिग्री है, के संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(18) केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार, यदि वह आवश्यक समझती है, इस अधिसूचना के उपाबंधों को प्रभावी करने में अन्य उपाय विनिर्दिष्ट करेगी।

4. प्रतिषिद्ध और विनियमित संवर्धित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों तथा तदाधीन बनाए गए नियमों जिनमें तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय संघात निर्धारण (ईआईए) अधिसूचना, 2006 भी हैं और अन्य लागू विधियां जिनमें वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) तथा उनमें किए गए संशोधन भी हैं द्वारा नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन ।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत

		खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
2.	जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में किसी नए या प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विस्तार की अनुमति दी जाएगी। (ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों फरवरी 2016के द्वारा गैर - प्रदूषणकारी वर्गीकरण के अनुसार केवल उद्योगों को अनुमति दी जा सकेगी जब तक कि इस अधिसूचना में अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना परियोजना की स्थापना ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन या प्रसंस्करण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या क्षेत्र सतही में अनुपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल की स्थापना और ठोस और जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए भस्मीकरण की सुविधा ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान की कोई नई ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और अपशिष्ट उपचारित/प्रसंस्करण सुविधा अनुज्ञात नहीं होगी । औद्योगिक प्रक्रिया और स्वास्थ्य स्थापनों/अस्पतालों आदि से उत्पन्न किसी भी प्रकार के ठोस अपशिष्ट के उपचार के लिए सामान्य या व्यक्तिगत भस्मीकरण की सुविधा का अतिरिक्त संस्थापन प्रतिषिद्ध हो ।
7.	फर्मों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
8.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
9.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।

	ख. विनियमित क्रियाकलाप	
10.	होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए आवास के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिक संवेदी जोन नए वाणिज्यिक होटलों और विश्रामस्थलों की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी तथापि एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप होगा।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन जो भी निकट हो, की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप-पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलाप भी है जिसके अंतर्गत ऐसे स्थानीय निवासियों को उस रुप में आवासीय आवश्यकताओं के लिए निर्माण उपविधियों के अनुसार अनुज्ञात होगा, जैसे। (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण; (iii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में फरवरी, 2016 के भीतर सिर्फ गैर- प्रदूषित उद्योगों की स्थापना के वर्गीकरण; (iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुख सुविधाएं जो पारिस्थितिक पर्यटन, जिस में गृह वास भी है में सहायता देती हो और (v) इस अधिसूचना में सूचीबद्ध संवर्धित क्रियाकलाप : (ख) ऐसे लघु उद्योग जो प्रदूषण कारित नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे । (ग) एक किलोमीटर से परे आंचलिक महायोजना की अनुसार

		विनियमित होंगे ।
12.	प्रदूषण कारित नहीं करने वाले लघु उद्योग ।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग और अपरिसंकट, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, उद्यान कृषि या पारिस्थितिक संवेदी जोन से देशी सामग्री से उत्पादों को उत्पन्न करने वाले कृषि आधारित उद्योग सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
13.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कोई कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी ।
14.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण (एनटीएफपी) ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
15.	विद्युत और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । (भूमिगत केबल बिछाए जाने को बढ़ावा दिया जा सकेगा।
16.	नागरिक सुख सुविधाओं जिसके अन्तर्गत बुनियादी ढांचे भी है।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों नियम और विनियों और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ किए जाएंगे।
17.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना ।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों, नियमों और विनियमों तथा उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ किए जाएंगे।
18.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस आदि द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
19.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
20.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
21.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि और मछली पालन ।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे ।
22.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्रावों या अपशिष्ट जल का निस्सारण ।	जल निकायों में प्रवेश करने के लिए अपशिष्ट जल/ बहिस्राव उपचारित उत्सर्जन रोकेगा। पुन:चक्रण और अपशिष्ट जल उपचारित पुन: उपयोग के लिए प्रयास किए जाएगे अन्यथा

IndiaCode

		अपशिष्ट जल/ बहिस्राव उत्सर्जन लागू विधि के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
23.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
24.	खुले कुँआ, बोर कुँआ, आदि के लिए कृषि और अन्य उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे और क्रियाकलाप संबधित प्राधिकारी द्वारा मानीटरी किए जाएगे।
25.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
26.	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
27.	पारिस्थितिक पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
28.	प्लास्टिक बैग का उपयोग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर पॉलिथीन बैग का उपयोग के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा । तथापि यह लागू विधियों के अधीन विनियमित किया जाएगा।
29.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंगें ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	ग.संवर्धित क्रियाकलाप	
30.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
32.	सभी क्रियाकलापों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
33.	कुटीर उद्योग जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और ईंधन का उपयोग ।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय रुप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
35.	कृषि वानिकी ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
36.	पारिस्थितिक अनुकूल परिवहन का उपयोग ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
37.	कौशल विकास ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
38.	निम्नीकृत भूमि या वन या का जीर्णोद्धार ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।
39.	पर्यावरणीय जागरुकता ।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति- केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उप-धारा (3) के अधीन इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी रूप से मानीटरी करने के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करती है, जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात्:-

(क) कलेक्टर, भावनगर- अध्यक्ष;

(ख) क्षेत्रीय अधिकारी, गुजरात राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भावनगर- सदस्य;

(ग) क्षेत्र का वरिष्ठ नगर योजनाकार- सदस्य;

(घ)	गुजरात सरकार के वन और पर्यावरण विभाग का कोई प्रतिनिधि-	सदस्य;
(ङ)	गुजरात सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए,	सदस्य;
(च)	सदस्य राज्य जैव विविधता बोर्ड	सदस्य;
(छ)	सहायक वन संरक्षक (ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान का प्रभारी), भावनगर-	सदस्य-सचिव ।

6. निर्देश निबंधन

(1) मानीटरी समिति इस अधिसूचना के उपाबंध का अनुपालन मानीटरी समिति करेगी।

(2) मानीटरी समिति की अवधि इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष होगा ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संबंधित उद्यान उप वन संरक्षक ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपने क्रियाकलापों की अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध V** में संलग्न में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निर्देश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।

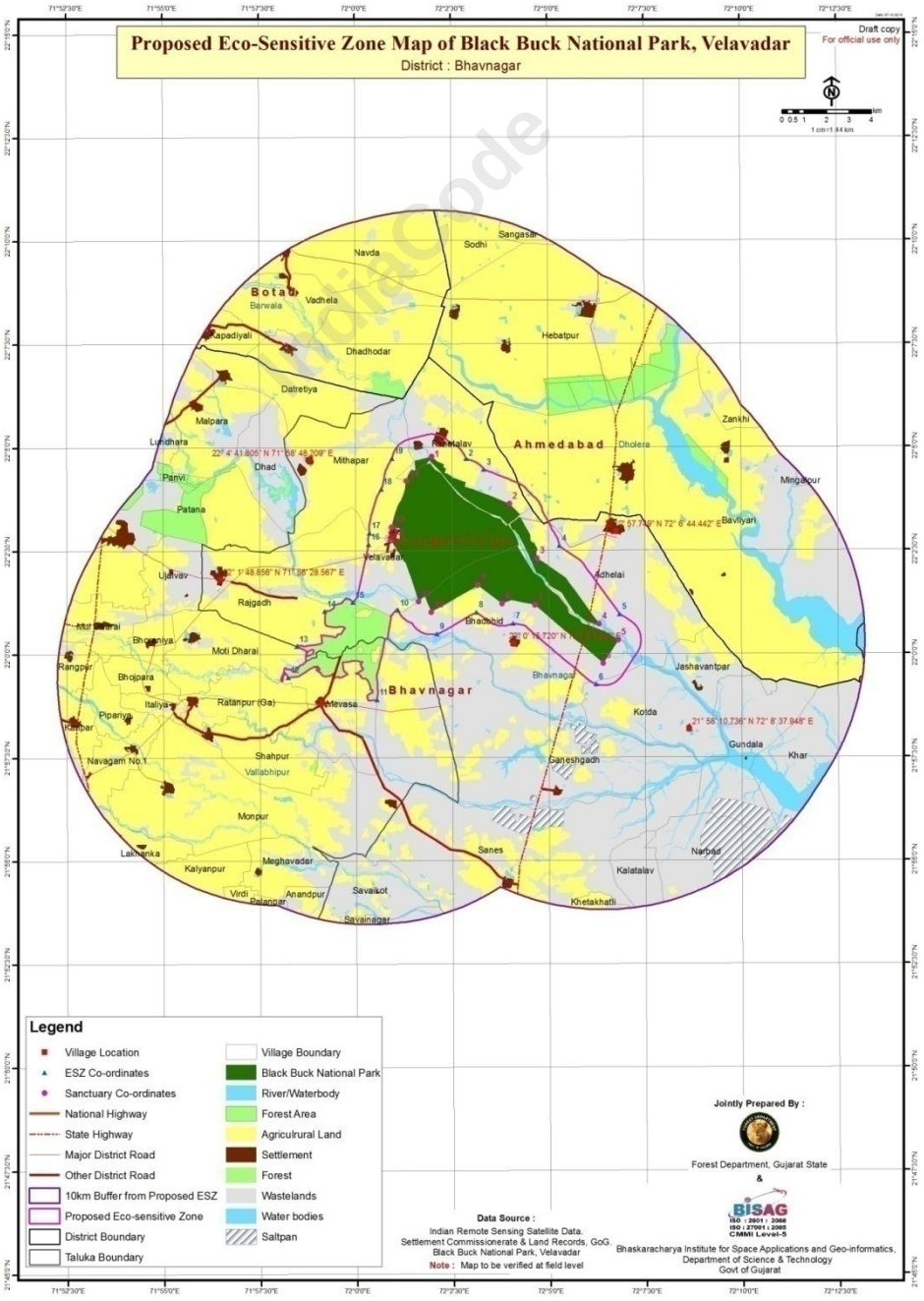
8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश या पारित होने वाले आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/87/2015-ईएसजेड-आरई]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

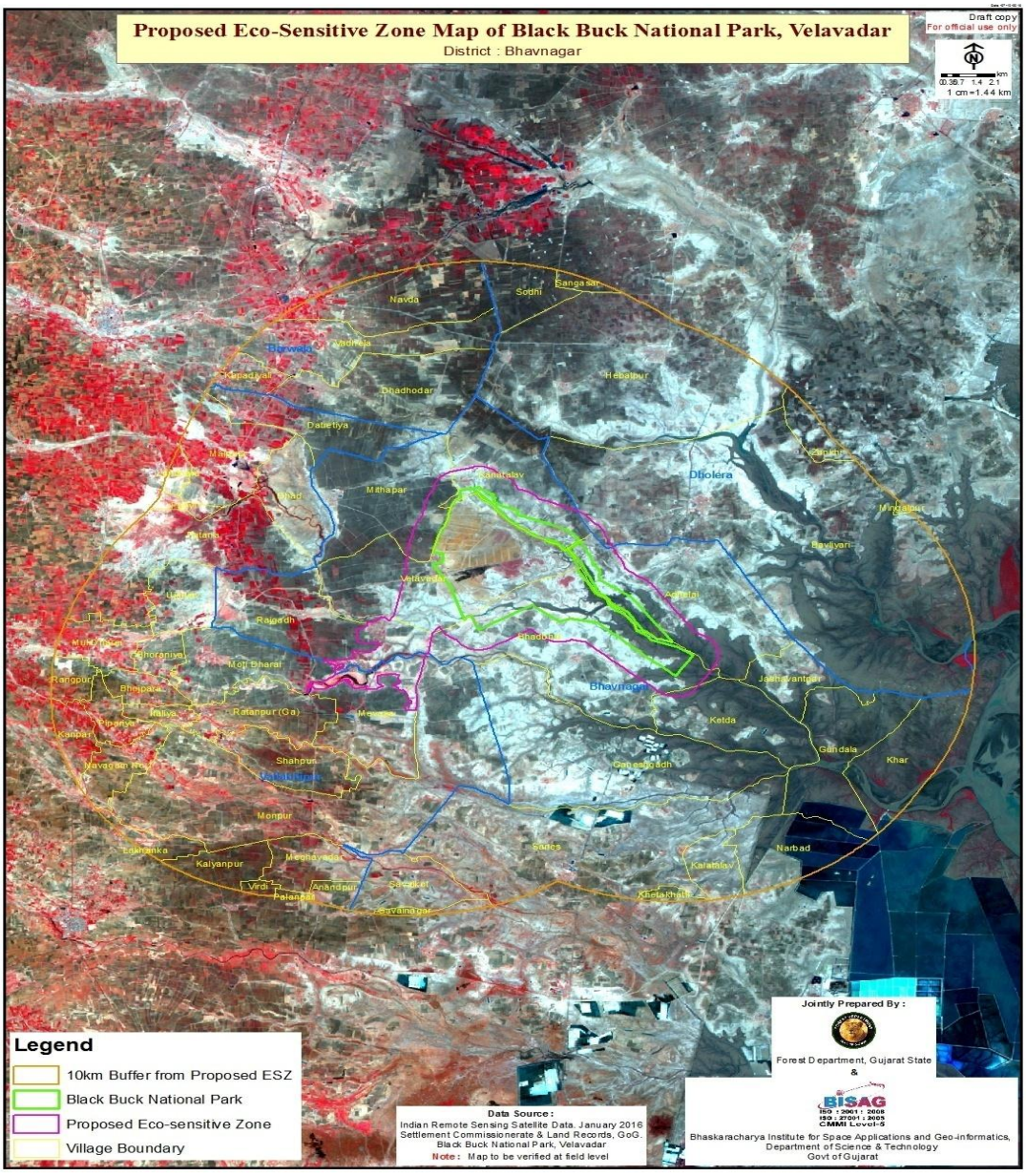
उपाबंध I-क

,पारिस्थितिक संवेदी जोन के साथ वेलावेदार ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान का मानचित्र



उपाबंध I-ख

पारिस्थितिक संवेदी जोन के साथ वेलावेदार ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान का मानचित्र



उपाबंध II

क. ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, वेलावेदार की सीमा का विवरण

ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, वेलावेदार भावनगर तालुका का भाग है। यह तालुका उत्तरी सीमा पर स्थित है, जो जिला सीमा है । ग्राम क्षेत्र में वेलावेदार, कनतालाव, मीठापुर, राजगढ़, मेवासा, भादभीद, अधेलाई, बवलियारी और कोतदा सम्मिलित हैं। दर्शायी गई सीमाएं नीचे दी गई हैं :

उत्तर : कनतालाव ग्रामों की राजस्व सर्वेक्षण संख्या ।

उत्तर-पूर्व: कनतालाव और बवलियारी की राजस्व सर्वेक्षण संख्या ।

दक्षिण : राजगढ़, मेवासा, वेलावेदार और भादभीद ग्रामों की राजस्व सर्वेक्षण संख्या ।

दक्षिण-पश्चिम: राजगढ़, मेवासा और मोतीधराई ग्रामों की राजस्व सर्वेक्षण संख्या।

पूर्व: कोटदा की क्रिक और भादभीद ग्रामों की राजस्व सर्वेक्षण संख्या ।

दक्षिण-पूर्व: कोटदा, जसवंतपुर ग्रामों की राजस्व अपशिष्ट भूमि और कीचड़ समभूमि।

पश्चिम: मीठापुर, राजगढ़ और वेलावेदार ग्रामों की राजस्व सर्वेक्षण संख्या।

उत्तर-पश्चिम: मीठापुर और कनतालाव ग्रामों की राजस्व सर्वेक्षण संख्या।

ख. **ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, वेलावेदार की पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का विवरण**

पारिस्थितिक संवेदी जोन -I के अंतर्गत ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, वेलावेदार (संरक्षित क्षेत्र) और 9 ग्रामों का 39.2448 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है ।

यह 9 ग्राम भावनगर जिला के भावनगर तालुका और वल्लाभीपुर तालुका के अंतर्गत आते है और अहमदाबाद जिला के धौलेरा तालुका के अंतर्गत बवलियारी ग्राम आते है । पारिस्थितिक संवेदी जोन अक्षांश 21^0,57',30" उ से 21^0,7',30" और देशांतर 72^0,0',0" पू से 72^0,7',30" के बीच स्थित है ।

मानचित्र में पारिस्थितिक संवेदी जोन के सीमा के देशांतर एवं अक्षांश बिन्दुओं के विवरण को दर्शाया गया है ।

उपाबंध III

सारणी क: वेलावेदार ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान की सीमा के साथ प्रमुख स्थिति के भू-निर्देशांक

वेलावेदार ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान निर्देशांक		
क्र.सं.	अक्षांश	देशांतर
1	22° 4' 47.214" उ	72° 1' 58.487" पू
2	22° 3' 38.385" उ	72° 3' 59.594" पू
3	22° 2' 19.280" उ	72° 4' 42.142" पू

4	22° 0' 43.483" उ	72° 6' 18.671" पू
5	22° 0' 20.184" उ	72° 6' 48.594" पू
6	21° 59' 46.592" उ	72° 6' 24.842" पू
7	22° 1' 11.449" उ	72° 4' 38.349" पू
8	22° 1' 13.509" उ	72° 3' 47.588" पू
9	22° 1' 40.117" उ	72° 3' 9.558" पू
10	22° 1' 1.246" उ	72° 1' 57.205" पू
11	22° 1' 16.405" उ	72° 1' 37.430" पू
12	22° 2' 45.817" उ	72° 0' 54.232" पू
13	22° 3' 4.218" उ	72° 0' 55.559" पू
14	22° 4' 11.824" उ	72° 1' 18.794" पू

सारणी ख: वेलावेदार ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के साथ प्रमुख स्थिति के भू-निर्देशांक

वेलावेदार ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिक संवेदी जोन निर्देशांक		
क्र.सं.	अक्षांश	देशांतर
1	22° 5' 7.524" उ	72° 2' 26.633" पू
2	22° 4' 44.136" उ	72° 2' 52.069" पू
3	22° 4' 28.358" उ	72° 3' 19.819" पू
4	22° 2' 37.356" उ	72° 5' 17.116" पू
5	22° 0' 57.832" उ	72° 6' 50.365" पू
6	21° 59' 15.840" उ	72° 6' 13.503" पू
7	22° 0' 44.915" उ	72° 4' 4.613" पू
8	22° 1' 1.097" उ	72° 3' 7.158" पू
9	22° 0' 29.806" उ	72° 2' 6.113" पू
10	22° 2' 39.554" उ	72° 0' 19.830" पू
11	22° 2' 56.347" उ	72° 0' 21.070" पू

12	22° 3' 59.987" उ	72° 0' 39.717" पू
13	22° 4' 44.353" उ	72° 0' 56.982" पू
14	22° 1' 4.063" उ	72° 1' 5.164" पू
15	21° 58' 54.324" उ	72° 0' 32.239" पू
16	21° 59' 26.740" उ	71° 58' 14.298" पू
17	22° 0' 11.729" उ	71° 58' 27.619" पू
18	22° 1' 2.795" उ	71° 59' 11.447" पू
19	22° 1' 15.518" उ	71° 59' 55.620" पू

उपाबंध IV

भू-निर्देशांकों के साथ वेलावेदार ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान के पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र.सं.	जिला	तालुका	ग्राम	अक्षांश	देशांतर
1	भावनगर	भावनगर	कोटदा	21° 58' 10.736" उ	72° 8' 37.948" पू
2	भावनगर	वल्लभीपुर	मेवासा	21° 58' 50.150" उ	71° 59' 6.450" पू
3	भावनगर	भावनगर	भडभीड	22° 0' 15.720" उ	72° 4' 4.390" पू
4	भावनगर	भावनगर	राजगढ़	22° 1' 48.856" उ	71° 56' 28.567" पू
5	भावनगर	भावनगर	वेलावेदार	22° 2' 51.589" उ	72° 0' 57.160" पू
6	भावनगर	भावनगर	अधेलाई	22° 2' 57.749" उ	72° 6' 44.442" पू
7	भावनगर	भावनगर	मीठापर	22° 4' 41.805" उ	71° 58' 48.209" पू
8	भावनगर	भावनगर	कानातलव	22° 5' 6.190" उ	72° 2' 14.535" पू
9	अहमदाबाद	धोलेरा	बवलीयारी	22° 4' 27.300" उ	72° 7' 1.800" पू

IndiaCode

उपाबंध V

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और ति थ ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंच लक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अ भलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लए ब्यौहार कए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अ धसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गति व धयों की सं वक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध कए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अ धसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गति व धयों की सं वक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध कए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अ धनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण वषय ।

IndiaCode

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2017

S.O. 2149(E).— WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section(ii), dated the 8th January, 2016, *vide* notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 67, dated the 22nd December, 2015, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within the period of sixty days from date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on the 22nd December, 2015;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, the Velavedar Black Buck National Park spread is over an area of 39.34 square kilometers and located between latitude 21°56' longitude 70°10', in the Northern part of Taluka/Tehsil of Bhavnagar of Bhavnagar District in the State of Gujarat and notified with the prime aim of long-term protection and conservation of Black Buck and the rare and endangered biological diversity;

AND WHEREAS, Reserve Forest categorised as Coastal Grassland Ecosystem and Rajwada Bio-geographical Province supports rich biodiversity, and also a variety of mammals, reptiles, insects and avifauna;

AND WHEREAS, major flora in the said National Park are Jinjvo (*Dichanthiumannulatum*), Dharant (*Sporobolusvirginicus*), Moti Dharant (*Sporobolusmadraspatensis*), Chakimaki (*Sporoboluscoromandelianus*), Mindado (*Chloris virgata*), Dale, Delo (*Aeuropuslagopoides*), Kang (*Setariaglauca*), Dhundh (*Eragrostis japonica*), Smeru (*Themedatriendra*), Ghavli (*Ischaemunrugosum*), Padu (*Dactylocteniumaegypticun*), Vardi (*Iseilemaanthephoroides*) etc.;

AND WHEREAS, major fauna in the aforesaid National Park are Rufus tailed hare (*Lepus nigricollisruficaudatus*), Desert hare (*Lepus nigricollisdayanus*), Wolf (*Canis lupus pallipes*), Jackal (*Canis aureus*), Indian Fox (*Vulpesbengalensis*), Common mongoose (*Herpestesedwardsi*), Black buck (*Antilopecervicapra*), Bluebull (*Boselaphustragocamelus*), Indian wild boar (*Sasscrofa*), Five striped khiscoli (*Funambuluspennanae*), Desert gerbille (*Merioneshurricanae*), Indian gerbille (*Tateraindica)*, Jungle cat (*Felischaus*), Grey musk shrew (*Suncusmurinus*), Desert cat (*Felislibyca*), etc.;

AND WHEREAS, the whole natural entity of the Velavedar Black Buck National Park, including the relic coastal grassland ecosystem and its associate biota including the highly endangered species, call for sustained conservation efforts;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification, around the protected area of Velavedar Black Buck National Park as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view by habitat management aiming at improving and preserving the genetic resources of Velavedar Black Buck National Park, reintroduction and rehabilitation of local species through breeding programmes, promote environmental education and ecological research and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986), read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying from 1.0 Kilometer to 3.70 Kilometers around the boundary of Velavedar Black Buck National Park in the State of Gujarat as the Velavedar Black Buck National Park Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1) The Eco-sensitive Zone shall be with a peripheral area 43.57 square kilometer with an extent varying from 1.0 kilometer to 3.70 kilometers around the boundary of Velavedar Black Buck National Park.

(2) The map Velavedar Black Buck National Park alongwith its of the Eco-sensitive Zone and latitudes and longitudes is appended as **Annexure- IA and Annexure-IB**.

(3) The boundary details of the said National Park and its Eco-sensitive Zone are given in **Annexure-II.**

(**4**) Geo-coordinates of Protected Area and Geo-coordinates of Eco-sensitive Zone are appended on **Annexure III.**

(5) The list of villages falling in Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure-IV.**

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The Zonal Master Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said Plan:-

(i) Environment;
(ii) Forest and Wildlife;
(iii) Agriculture;
(iv) Revenue,
(v) Urban Development;
(vi) Tourism;
(vii) Rural Development;
(viii) Irrigation and Flood Control;
(ix) Municipal ;
(x) Panchayati Raj ; and
(xi) Public Works Department.

(5) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development and livelihood security of local communities.

(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Landuse.-** (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential complex or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government to meet the residential needs of the local residents, and for the activities such as-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
(iii) small scale industries not causing pollution;
(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
(v) promoted activities given in paragraph 4.

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

(2) **Natural springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism/ Eco-tourism.-** (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-Sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.

(b)The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.

(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.

(d) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) no new construction of hotels and resorts shall be allowed within one kilometer from the boundary of the Velavedar Black Buck National Park or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer. However, beyond the distance of one kilometer from the boundary of the said park till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within ESZ area.

(4) **Natural Heritage.- Natural Heritage-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** Prevention and Control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986 and amendments thereto.

(7) **Air pollution.-** Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder and amendments thereto.

(8) **Discharge of effluents.-** Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.

(9) **Solid wastes. -** Disposal and management of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal and management in Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated 8th April, 2016 as amended from time to time;
(ii) the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(iii) no burning or incineration of solid wastes and establishment of landfills shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** Bio medical waste management shall be as under:

(i) the bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016 as amended from time to time.
(ii) no common treatment facility or incineration shall be permitted within the Eco Sensitive Zone.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Vehicular pollution.**- Prevention and control of vehicular pollution shall be carried out in accordance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuel for example CNG, etc.

(13) **Plastic waste management.-** The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016 as amended from time to time.

(14) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(15) E-waste.- The E- Waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and as amended from time to time.

(16) Industrial Units.- (i) No new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries may be permitted within the Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless otherwise specified in this notification.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under.-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) no construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted;

(18) The Central Government and the State Government shall specify other measures, if it considers necessary, in giving effect to the provisions of this notification.

4. **Prohibited, regulated and promoted activities**

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S No	Activity	Description
(1)	**(2)**	**(3)**
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for personal consumption. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 04 August, 2006 in the matter of T.N. GodavarmanThirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21 April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (water, air, soil, noise, etc.).	(a) No new industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. (b) Only non-polluting industries may be permitted within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February 2016, unless otherwise specified in this notification.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Establishment of solid waste disposal site and common incineration facility for solid and bio medical waste.	No new solid waste disposal site and waste treatment or processing facility of solid waste shall be permitted within Eco-sensitive zone and installation of common or individual incineration facility for treatment of any form of solid waste generated from industrial process and health establishment, hospitals, etc. shall be prohibited.

7.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, companies, etc.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
8.	Setting of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
9.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
	B. Regulated Activities	
10.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
11.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents such as: (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including homestays; and (v) Promoted activities listed in this Notification. (b) The construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (c) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
12.	Small scale non-polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent authority.
13.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder.
14.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
15.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable law (underground cabling may be promoted).

16.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulations and available guidelines.
17.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
18.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable laws.
19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
20.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
21.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
22.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water and the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per applicable laws.
23.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.
24.	Open well, bore well etc. for agriculture or other usage.	Regulated under applicable laws and the activity shall be monitored by the concerned authority.
25.	Solid waste management.	Regulated under applicable laws.
26.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
27.	Eco-tourism.	Regulated under applicable laws.
28.	Use of polythene bags.	Use of polythene bags may be permitted within the Eco Sensitive Zone, however, based on specific requirement, it shall be regulated under applicable laws.
29.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
C. Promoted Activities		
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light, etc. shall be actively promoted.
35.	Agro-forestry.	Shall be actively promoted.

36.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
37.	Skill development.	Shall be actively promoted.
38.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
39.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.-

The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the provisions of this Notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 comprising of the following, namely:-

(a)	Collector, Bhavnagar	Chairperson;
(b)	Regional Officer, Gujarat State Pollution Control Board, Bhavnagar	Member;
(c)	Senior Town Planner of the area	Member;
(d)	A representative of the Department of Forests and Environment, Government of Gujarat	Member;
(e)	One expert in the area of Ecology and Environment to be nominated by the State Government for a period of three year in each case	Member;
(g)	Member State Biodiversity Board	Member;
(h)	Assistant Conservator of Forests (In-Charge of the Velvadar Black Buck National Park), Bhavnagar	Member Secretary.

IndiaCode

6. **Terms of reference.-** (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The tenure of the monitoring committee shall be for three years from date of publication of this notification in the official Gazette.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector

(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro- forma appended at **Annexure-V**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

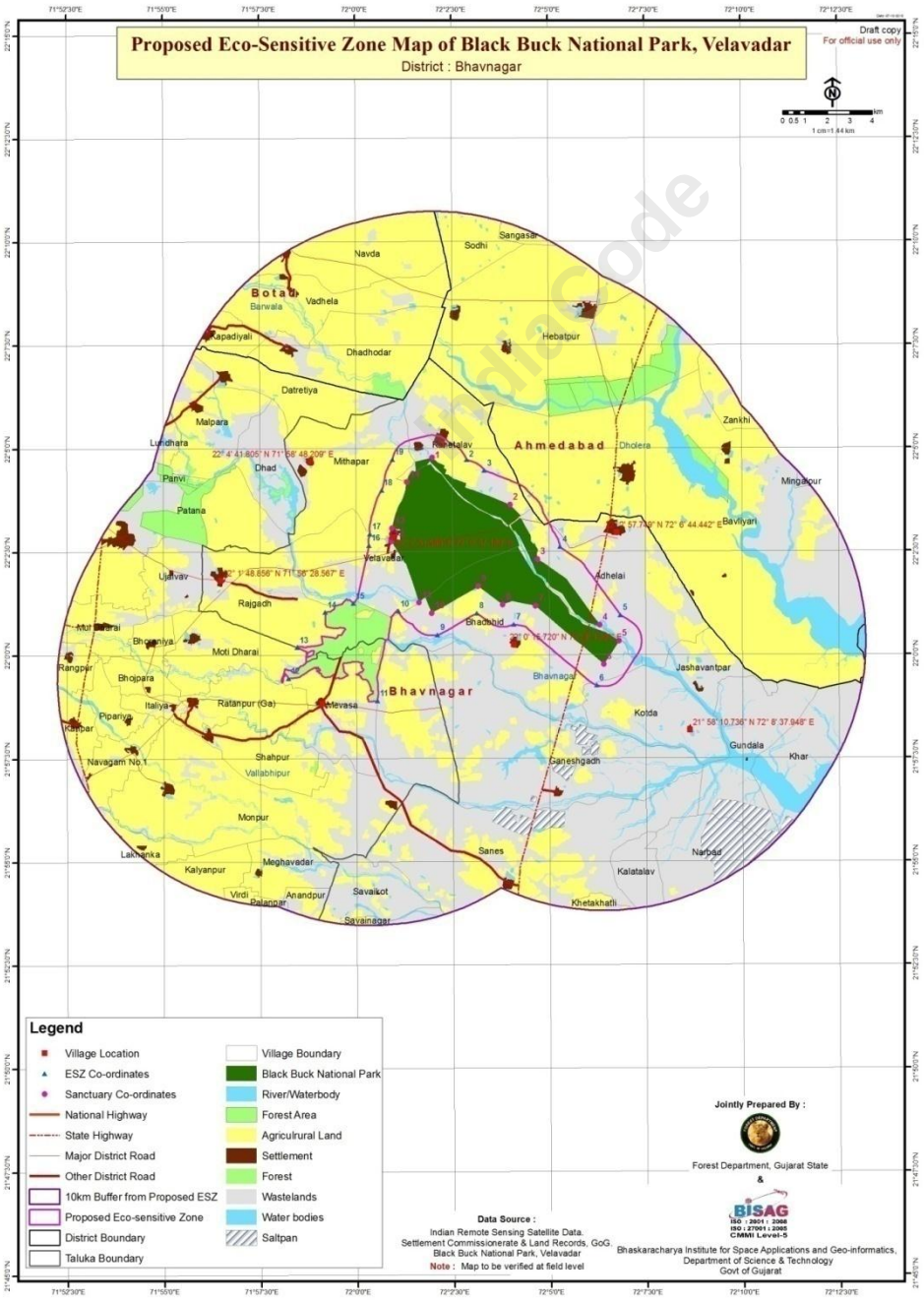
8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or the National Green Tribunal.

[F.No.25/87 /2015-ESZ-RE]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

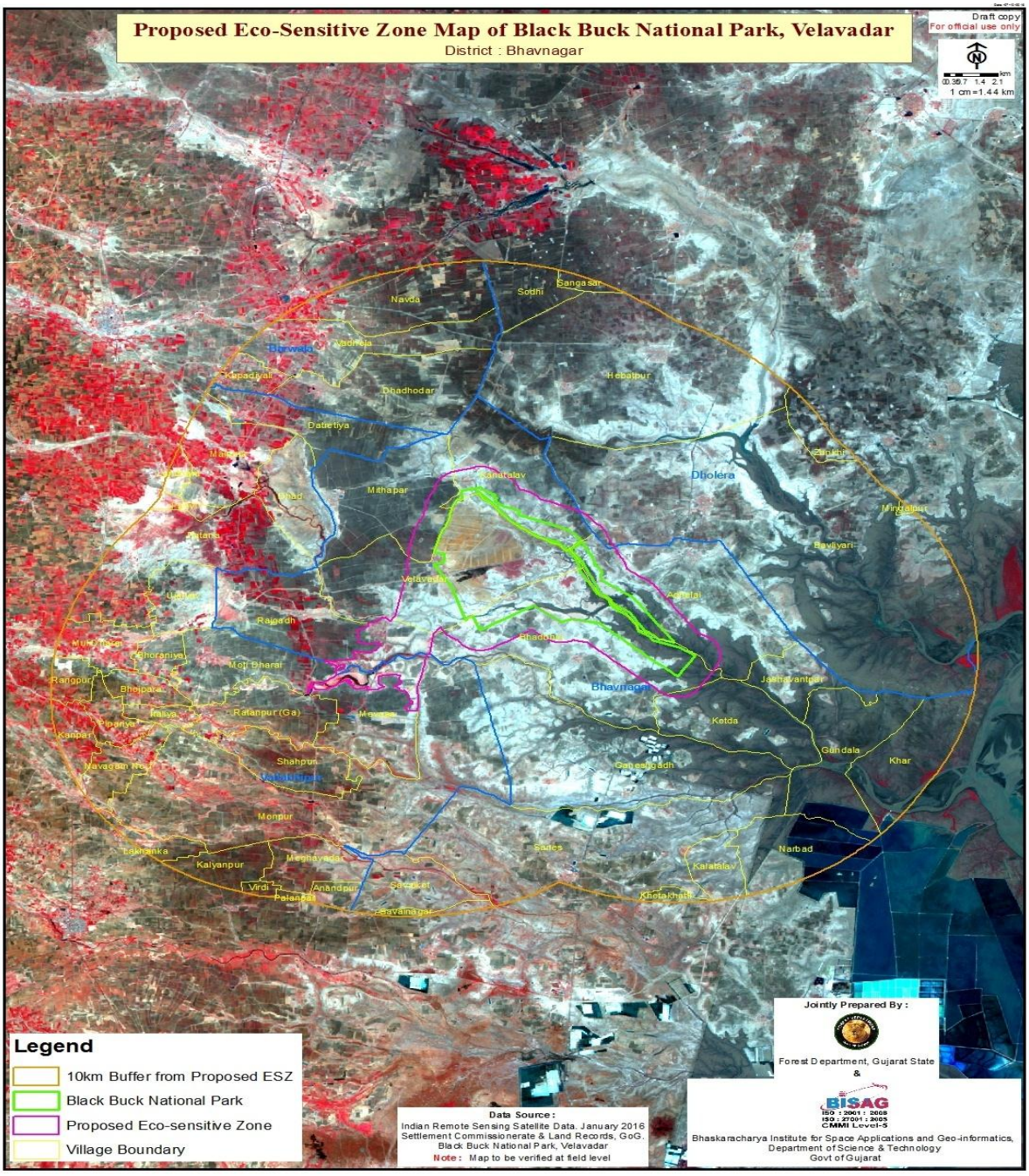
ANNEXURE- I-A

MAP OF VELVADAR BLACK BUCK NATIONAL PARK ALONG WITH ITS ECO-SENSITIVE ZONE



ANNEXURE- I-B

MAP OF VELVADAR BLACK BUCK NATIONAL PARK ALONG WITH ITS ECO-SENSITIVE ZONE



Annexure-II

A. Boundary description of Velavadar Black Buck National Park

Black buck National Park, Velavadar is part of Bhavnagar Taluka. It is situated on Northern boundary of Taluka, which is district boundary too. The village area of Velavadar, Kanatalav, Mithapur, Rajgadh, Mevasa, Bhadbhid, Adhelai, Bavaliyari and Kotda have been included. The boundaries are shown below:

North : Revenue Survey numbers of Kanatalav villages.

North-East: Revenue survey numbers of Kanatalav and Bavaliyari

South : Revenue survey number of Rajgadh, Mevasa, Velavadar and Bhadbhid villages.

South –West: Revenue survey numbers of Rajgadh, Mevasa and Motidharai villages

East: Crick of Kotda and revenue of Bhadbhid village.

South-East: Revenue wasteland and mudflat of Kotda, Jasavantpur villages.

West: Revenue survey number of Mithapur, Rajgadh and Velavadar Village.

North –West: Revenue survey numbers of Mithapur and Kanatalav villages

B. Boundary description of Eco-Sensitive Zone of Velavadar Black Buck National Park

Eco-sensitive Zone-I consists of Black buck National Park, Velavadar (protected area) and 9 villages having area of 39.2448 sq.kms.

These 9 villages fall under Bhavnagar Taluka and Vallabhipur Taluka of Bhavnagar District and Bavaliyari village falls in Dholera Taluka of Ahmedabad district. This proposed Eco-sensitive Zone located between latitude 21^0,57',30" North to 21^0,7',30" and longitude 72^0,0',0" East to 72^0,7',30" East.

Detailed longitude and latitude readings of boundary of Eco-sensitive Zone are shown on the Map.

IndianCode

Annexure-III

TABLE A: Geo Coordinates of Prominent Locations along the boundary of Velavadar Black Buck National Park

Black Buck National Park Co-ordinates		
Sr.No.	**Latitude**	**Longitude**
1	22° 4' 47.214" N	72° 1' 58.487" E
2	22° 3' 38.385" N	72° 3' 59.594" E
3	22° 2' 19.280" N	72° 4' 42.142" E
4	22° 0' 43.483" N	72° 6' 18.671" E
5	22° 0' 20.184" N	72° 6' 48.594" E
6	21° 59' 46.592" N	72° 6' 24.842" E
7	22° 1' 11.449" N	72° 4' 38.349" E
8	22° 1' 13.509" N	72° 3' 47.588" E
9	22° 1' 40.117" N	72° 3' 9.558" E
10	22° 1' 1.246" N	72° 1' 57.205" E
11	22° 1' 16.405" N	72° 1' 37.430" E
12	22° 2' 45.817" N	72° 0' 54.232" E
13	22° 3' 4.218" N	72° 0' 55.559" E
14	22° 4' 11.824" N	72° 1' 18.794" E

Table B: Geo Coordinates of Prominent Locations along the boundary of Eco-sensitive Zone of Velavadar Black Buck National Park

Black Buck National Park ESZ Co-ordinates		
Sr.No.	Latitude	Longitude
1	22° 5' 7.524" N	72° 2' 26.633" E
2	22° 4' 44.136" N	72° 2' 52.069" E
3	22° 4' 28.358" N	72° 3' 19.819" E
4	22° 2' 37.356" N	72° 5' 17.116" E
5	22° 0' 57.832" N	72° 6' 50.365" E
6	21° 59' 15.840" N	72° 6' 13.503" E
7	22° 0' 44.915" N	72° 4' 4.613" E
8	22° 1' 1.097" N	72° 3' 7.158" E
9	22° 0' 29.806" N	72° 2' 6.113" E
10	22° 2' 39.554" N	72° 0' 19.830" E
11	22° 2' 56.347" N	72° 0' 21.070" E
12	22° 3' 59.987" N	72° 0' 39.717" E
13	22° 4' 44.353" N	72° 0' 56.982" E
14	22° 1' 4.063" N	72° 1' 5.164" E
15	21° 58' 54.324" N	72° 0' 32.239" E
16	21° 59' 26.740" N	71° 58' 14.298" E
17	22° 0' 11.729" N	71° 58' 27.619" E
18	22° 1' 2.795" N	71° 59' 11.447" E
19	22° 1' 15.518" N	71° 59' 55.620" E

IndiaCode

ANNEXURE-IV

List of villages falling within the Eco-sensitive Zone of Velavadar Black Buck National Park along with Geo-coordinates

Sr. No.	District	Taluka	Village	Latitude	Longitude
1	Bhavnagar	Bhavnagar	Kotda	21° 58' 10.736" N	72° 8' 37.948" E
2	Bhavnagar	Vallabhipur	Mevasa	21° 58' 50.150" N	71° 59' 6.450" E
3	Bhavnagar	Bhavnagar	Bhadbhid	22° 0' 15.720" N	72° 4' 4.390" E
4	Bhavnagar	Bhavnagar	Rajgadh	22° 1' 48.856" N	71° 56' 28.567" E
5	Bhavnagar	Bhavnagar	Velavadar	22° 2' 51.589" N	72° 0' 57.160" E
6	Bhavnagar	Bhavnagar	Adhelai	22° 2' 57.749" N	72° 6' 44.442" E
7	Bhavnagar	Bhavnagar	Mithapar	22° 4' 41.805" N	71° 58' 48.209" E
8	Bhavnagar	Bhavnagar	Kanatalav	22° 5' 6.190" N	72° 2' 14.535" E
9	Ahmedabad	Dholera	Bavaliyari	22° 4' 27.300" N	72° 7' 1.800" E

IndiaCode

Annexure -V

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal master Plan including Tourism master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise).

 Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.

 Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.

 Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.07.13 15:35:48 +05'30'